



Nº 005108

# संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

( ऐक्ट 21. 1860 )

संख्या ९२७.

वर्ष २००८-२००९.

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि .....

“ विद्या विकास समिति झारखण्ड ”

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख २४. मास जनवरी वर्ष दो हजार नौ. को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।



वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।

नोट -  
झारखण्ड विभाग में निबन्धित संस्था का नाम - विद्या विकास समिति झारखण्ड  
झारखण्ड निबन्धन संख्या - 1082/994-05  
गोवर्नमेंट प्रेस, राँची ।

①

②

पत्रांक - जे०एस० 1/

↓ 5116440/07

2198

झारखण्ड सरकार  
निबंधन विभाग ।

प्रेषक,

मो० युसुफ,  
सहायक निबंधन महानिरीक्षक,  
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक

27.1.09

सेवा में,

सहित,  
विचार विभाग में  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

विषय : स्मृति - पत्र एवं नियमावली की अभिप्रमाणित प्रति निर्गत करने के  
संबंध में

महाशय,

आपके आवेदन के आलोक में निबंधित संस्था के स्मृति-पत्र एवं नियमावली की  
छाया-प्रति की अभिप्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

.....  
(मो० युसुफ)

सहायक निबंधन महानिरीक्षक

.....  
.....

## विद्या विकास समिति, झारखण्ड

(संस्था का नाम)


का

स्मृति-पत्र

1. सस्था का नाम विद्या विकास समिति, झारखण्ड
2. सस्था का निबंधित कार्यालय मकान संख्या /सोल्डम नं. 217  
गली/रोड नाम मुख्य मार्ग संख्या  
मुहल्ला शुक्ला कॉलाजी, हिन्दू पत्रालय डोरडा  
थाना डोरण्डा ग्राम/शहर राँची जिला राँची
3. कार्यक्षेत्र संपूर्ण झारखण्ड
4. आरम्भ एवं अंतिम तिथि सर्वसमिति से प्रस्ताव पारित किया कि यह सस्था अविभाजित बिहार राज्य में "विद्या विकास समिति, झारखण्ड" नाम से निबंधित सस्था जिनका निबंधन संख्या 1082 94 95 वर्ष 1994-95 है, के आरम्भ एवं दायित्व को उत्तर करेगी है।
5. सस्था का उद्देश्य
  - i) समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण एवं विकास के लिए उनके बीच शिक्षा के माध्यम से उनके जीवन का उत्थान करना।
  - ii) धर्म, जाति, वर्ग, भाषा अथवा प्रांत के आधार पर भेदभाव न करते हुए समाज में राष्ट्रीय एकात्मता का भाव जागृत करना।
  - iii) समाज के युवक, युवतियों, छात्रों एवं महिलाओं में सहयोग, सामाजिकता, स्वाभिमान एवं प्रसन्नता भावों के जागरण हेतु गोष्ठियाँ, सामूहिक सहभोज, श्रमदान, स्वास्थ्य, शिक्षा, योग शिक्षा प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिताएँ आयोजित करना।
  - iv) देश की संस्कृति एवं आदर्शों के अनुरूप ज्ञानार्जन, सद्गुण एवं प्रतिभा विकास तथा शैक्षणिक विकास हेतु सरकार केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय, बाल बाड़ी, चिकित्सालय एवं शिक्षा केन्द्र खोलना तथा निम्न और योग्य विद्यार्थियों को पुरस्कार, वस्त्र तथा छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना।
  - v) समाज के कमजोर वर्गों परतु गेघावी वर्गों के आर्थिक विकास हेतु सामूहिक, वारिधिक, कृषि उद्योग, लघु उद्योग, हस्तकला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं विविध प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र खोलना तथा इस निमित्त सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं में सहयोग लेकर उनके माध्यम से कार्यों को गति देना तथा समाज का विकास करना।
  - vi) समाज के सभी वर्गों का वारिधिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं नैतिक जीवन मूल्यों के आधार पर सर्वांगीण विकास करना तथा ऐसे सभी कार्य करना जो उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।



यह सस्था निबंधित सस्था है।




इस्ते, निबंधन महानिरीक्षक.



6. संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण -  
निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पारापोस्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था की वर्तमान नियमावली के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं

क्रम	पूरा नाम, पिता का पूरा नाम	पूर्ण पता एवं दूरभाष	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	हस्ताक्षरयुक्त फोटो
1	श्री दिवाकर घोष स्व० धरनीधर घोष	वनांचल शिक्षा समिति, शुक्ला कॉलोनी, दिगु, राँची दूरभाष : 9131107735	48	स्नातक	समाज सेवा	संगठन मंत्री	 दिवाकर
2	श्री श्याम सुन्दर चौधरी स्व० गुलाब चन्द्र चौधरी	"नीलम हाउस" (एस०एस०एल० महिला कॉलेज में), लुन्नी मनबाद दूर०: 0326-2202375 2204533	69	बी०कॉम० बी०एल०	आयकर अधिवक्ता	आयुक्त	 रही
3	श्री शिव कुमार पोद्दार स्व० रामेश्वर लाल पोद्दार	"आयकर अधिवक्ता" हरदत्त राम लैन, अपर बाजार, गैनी 834001 दूरभाष : 9431115265	65	बी०कॉम० बी०एल०	आयकर अधिवक्ता	उपाध्यक्ष	
4	श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा स्व० मदन मोहन मिश्रा	साकंत नगर, दिगु, गैनी 834001 दूरभाष : 9431105356	53	स्नातकोत्तर (आयकरवर्ष)	प्रबंधक (मेकन, राँची)	उपाध्यक्ष	 देवेन्द्र मिश्रा

2-  
20/11/20  
E

क्रम	पूरा नाम, पिता का पूरा नाम	पूर्ण पता एवं दूरभाष	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	हस्ताक्षरयुक्त फोटो
5	डा० रमाकांत राय स्व० रामावतार राय	विद्या विकास समिति, शुक्ला कॉलोनी, हिन्, राँची 834002 दूरभाष : 9431103068	50	एम०ए० पी०एच०डी०	समाज सेवा मंत्री		
6	डा० सुधांशु कुमार वर्मा श्री शशि भूषण वर्मा	"सिद्धार्थ", 2150 बी 14 परगनापट्टी साई अस्पताल, राँची बरियात, राँची 834009 दूरभाष : 9431104605	52	एम०ए० पी०एच०डी०	महा विद्यालय निरीक्षक राँची (वि०)	कोषाध्यक्ष	
7	डा० कृष्ण चन्द्र प्रसाद स्व० कमलेश्वर प्रसाद	सुखदेव, राँची राँची दूर : 0651 2280994	52	एम०ए० पी०एच०डी०	निदेशक (स्टाफ एकेडेमी कॉलेज)	सदस्य	
8	डा० अशोक कुं बाघोय स्व० जगदीश प्र० बाघोय	श्रीनिकेतन, निवारणपुर, राँची 834007 दूरभाष : 9431107514	48	एम०एस-सी० पी०एच०डी०	समाज सेवा	सदस्य	

2

3


Rameshwar

2

क्रम	पूरा नाम, पिता का पूरा नाम	पूर्ण पता एवं दूरभाष	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	हस्ताक्षरयुक्त फोटो
9	डा० चन्द्र किशोर सिंह स्व० नागेन्द्र प्रसाद सिंह	सेवा निवृत्त अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, हाउस नं० 377/ए, रोड नं० 4/सी अशोक नगर, राँची 2 दूरभाष : 9431103314	62	पी एच०डी०, एम०टेक०, एम०एस सी० (अभियंत्रण)	अवकाश प्राप्त अभियंता	सदस्य	
10	श्री हिमांशु कुमार वर्मा श्री शशि भूषण झा	विद्या भारती, उत्तर पूर्व (बिहार) क्षेत्र, प्रेम कुंज, विन्ध्यवासिनी पथ, कदमकुआँ, पटना 800003 दूरभाष : 9431103314	50	स्नातकोत्तर	समाज सेवा	सदस्य	
11	श्रीमती अंजली जैन श्री नेमी चन्द जैन	अंजली- एस०शि०ए- स्कूल के कंपाउंड, राँची दूरभाष : 933477		सी०ए०		सदस्य	
12	श्री कृपा शंकर शर्मा स्व० अख्तियार शर्मा	प्रकाश नगर, बिरसा चौक, राँची 2 दूरभाष : 9431115347	48	स्नातकोत्तर	समाज सेवा	सदस्य	

A  
B  
C  
D  
E

क्रम	पूरा नाम, पिता का पूरा नाम	पूर्ण पता एवं दूरभाष	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	हस्ताक्षरयुक्त फोटो
13	श्री चन्द्रधर दुबे स्व० पंडित बाला प्रसाद दुबे	"चन्द्रकिरण", शिवपुरी, हिन्, राँची 834002 दूरभाष : 9431114191	68	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित	समाज सेवा (अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य)	सदस्य	



## विद्या विकास समिति, झारखण्ड की नियमावली

54 (9)

(8)

## 1. परिभाषाएँ :

- (क) संस्था से अग्रिप्राय संस्था से तात्पर्य "विद्या विकास समिति, झारखण्ड" होगा।  
 (ख) समिति से अग्रिप्राय संस्था की कार्यकारिणी समिति।  
 (ग) वित्तीय वर्ष से अग्रिप्राय वित्तीय वर्ष से तात्पर्य अप्रैल से मार्च तक होगा।  
 (घ) आमसभा से अग्रिप्राय संस्था के सभी सदस्यों से बना सभा।  
 (ङ) पदाधिकारी से अग्रिप्राय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सहमंत्री, कोषाध्यक्ष  
 (च) कार्यकारिणी से अग्रिप्राय कार्यकारिणी से तात्पर्य "विद्या विकास समिति, झारखण्ड" की कार्यकारिणी समिति से होगा।  
 (छ) स्थानीय समिति से अग्रिप्राय स्थानीय समिति से तात्पर्य संस्था द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रकल्पों की प्रबंधकारिणी समिति से होगा।  
 (ज) अधिनियम एवं नियम से अग्रिप्राय है : संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1960 एवं बिहार संस्था निबंधन नियमावली 1965 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत तथा अधिसूचना संख्या 726 दिनांक 18.11.2005 से यथासंशोधित है)

## 2. संस्था की सदस्यता की शर्तें

संस्था के निम्नलिखित पाँच प्रकार के सदस्य होंगे।

- (क) संस्थापक सदस्य संस्था की स्थापना के समय हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति संस्थापक सदस्य होंगे, उनका वारिस स्वतंत्रता श्रुति श्रुति 2001, रूप होगा। इनकी सदस्यता आजीवन होगी, परन्तु प्रबंधकारिणी समिति के निर्णय से वे अपने वारिस को सदस्यता दे सकते हैं, परन्तु प्रबंधकारिणी समिति के निर्णय से वे अपने वारिस को सदस्यता दे सकते हैं।  
 (ख) संरक्षक सदस्य प्रबंधकारिणी के निर्णयानुसार जो व्यक्ति संस्था को एक मुस्त 5,000/- रूपए देता है मूल्य की शर्त पर दानु देंगे, वे संरक्षक सदस्य होंगे।  
 (ग) साधारण सदस्य प्रबंधकारिणी के अनुमोदन पर कोई भी व्यक्ति 100/- रूपए देकर साधारण सदस्य बन सकता है। इनका कार्यकाल, कार्यकारिणी के कार्यकाल तक रहेगा।  
 (घ) विशिष्ट सदस्य संस्था के सदस्यों द्वारा मनोनीत शैक्षिक या सामाजिक क्षेत्र के जुड़े एक अति कर्तव्य को कार्यकारी विशिष्ट सदस्य कहलाएँगे। इन्हें किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।  
 (ङ) मनोनीत सदस्य झारखण्ड में समान उद्देश्य के चलने वाली अन्य प्रांतीय समितियों के एक एक प्रतिनिधि विकास समिति द्वारा 3 वर्षों के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं। इन प्रांतीय सदस्यता शुल्क देय नहीं होगा।

## 3. सदस्यता की समाप्ति

- (क) सदस्य की मृत्यु होने पर।  
 (ख) सदस्य का त्याग पत्र स्वीकृत होने पर।  
 (ग) संस्था विरोधी कार्य करने पर।  
 (घ) शारीरिक या मानसिक कारणों से असमर्थ होने पर।  
 (ङ) बिना पूर्व सूचना के निरंतर चार बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।  
 (च) अनैतिक अपराध में कारावास का दण्ड पाने पर।

उपरोक्त कारणों के आधार पर सदस्यता की समाप्ति प्रांतीय समिति करेगी।

## 4. कार्यकारिणी समिति का गठन

कार्यकारिणी समिति में 13 सदस्य होंगे। कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे

- (क) अध्यक्ष (ख) उपाध्यक्ष (ग) मंत्री (घ) सहमंत्री (ङ) कोषाध्यक्ष

कार्यकारिणी समिति का गठन प्रथम तीन वर्षों के पश्चात् निम्नलिखित पद्धति से होगा।

- (क) संस्थापक सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित छः सदस्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे।

*(Handwritten signatures and marks)*

*(Handwritten signature)*



- (ख) विद्या विकास समिति की समस्त गल एवं अचल सम्पत्तियों का प्रबंध करना, परंतु अचल संपत्ति का विक्रय या रचना रखना कार्यकारिणी समिति की स्पष्ट पूर्वानुमति से ही हो सकेगा।
- (ग) प्रबंधकारिणी समिति की बैठक बुलाना।
- (घ) सभी प्रकार के व्यय के लिए अधिकतम 5000/- रुपए तक की स्वीकृति देना।
- (ङ) प्रबंधकारिणी समिति की स्वीकृति से सभी प्रकार की नियुक्ति, पदोन्नति पदच्युति एवं स्थानांतरण करना।
- (च) सभी प्रकार के व्यय जो बजट के अनुसार हो तथा प्रबंध समिति द्वारा निर्मित कार्य करने के लिए आवश्यक हो की स्वीकृति देना।
- (छ) प्रबंध समिति की ओर से समस्त पत्र व्यवहार एवं अदालती कार्य का उत्तरदायित्व वहन करना।
- (ज) विद्या विकास समिति के लिए समस्त दान एवं अनुदान की राशि ग्रहण करना।
- (झ) वार्षिक बजट तैयार कर नवीन रात्र के पूर्व प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष रखना।
- (ञ) विद्या विकास समिति के समस्त लेखा का संचालन करना।
- (ट) विद्या विकास समिति के समस्त मानधन पाने वाले व्यक्ति का अवकाश स्वीकृत करना एवं आवश्यक सुविधा प्रदान करना।
- (ठ) चल रहे विभिन्न शिक्षा केंद्रों एवं प्रकल्पों की स्थानीय समिति का गठन एवं आवश्यकता पड़ने पर विघटन करना।

#### सहमंत्री

- (क) प्रदेश मंत्री को उचित विधि में जवाब देना।
- (ख) प्रदेश मंत्री द्वारा प्रदत्त निर्देशों का उचित समय पर क्रमबद्ध करवाया जाना एवं प्रदेश मंत्री की अनुपस्थिति में प्रदेश मंत्री का स्थान प्रतिस्थापित करना।

#### कोषाध्यक्ष

- (क) विद्या विकास समिति के समस्त आय-व्यय लेखा का समय-समय पर निरीक्षण करना।
- (ख) समिति की आय-व्यय के आधार पर धन संग्रह करके कोष की व्यवस्था करना।
- (ग) वार्षिक आय-व्यय लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (घ) समिति के सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त करना, भावता देना तथा इसका विवरण रखना या इसे व्यवस्थित रखने का प्रबंध करना।

#### 7. आमसभा एवं इसके कार्य

- (क) धारा 3 में अंकित सभी सदस्य साधारण सभा के सदस्य होंगे।
- (ख) साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।
- (ग) साधारण सभा द्वारा विकास समिति का अंकेसित आय-व्यय वृत्त तथा अगले वर्ष का संगठित आय व्यय स्वीकृत किए जाएंगे।
- (घ) गणपूरक संख्या छ या कुल सदस्य का 1/5 भाग, दोनों में से जो कम होगी।
- (ङ) प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारी ही साधारण सभा के पदाधिकारी होंगे।

#### 8. आमसभा की बैठकें

- (क) आमसभा की वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।
- (ख) आमसभा के 1/3 सदस्यों के लिखित मांग, जिसमें अधियाचना करने वाले सदस्यों का हस्ताक्षर एवं बैठक में विचारणीय बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख रहेगा, पर अधियाचना प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर सदस्य के प्रदेश मंत्री की आमसभा की बैठक बुलानी होगी। यदि तीस दिनों के भीतर प्रदेश मंत्री द्वारा बैठक नहीं बुलाई जाएगी तब अधियाचना करने वाले सदस्यों को अधिकार होगा कि वे आमसभा के सभी सदस्यों को सूचना भेजकर आमसभा की अधियाचित बैठक अधियाचना में अंकित विषय पर निर्णय ले सकते हैं।
- (ग) कोरम - आमसभा की बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक होगी (50% + 1)

20/5/06

- (घ) बैठक की सूचना  
 (i) आमसभा की सभी बैठकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम से कम दस दिनों दी जाएगी।  
 (ii) बैठक की सूचना निबंधित डाक या सूचनाबही में हस्ताक्षर प्राप्त करके दी जाएगी।
9. कार्यकारिणी समिति की बैठक :  
 (क) विकास समिति के प्रदेश मंत्री द्वारा समय-समय पर संस्था की आवश्यकता के अनुसार सभी की बैठक आहूत की जाएगी। जिसके विचारणीय विषय तथा बैठक के स्थान दिनांक तथा समय की सूचना सभी सदस्यों को साधारणतः सात दिन पूर्व या परिस्थिति के अनुसार दी जाएगी।  
 (ख) अध्यक्ष के आदेश पर प्रदेश मंत्री को विकास समिति के कम से कम पाँच सदस्यों द्वारा बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा।  
 (ग) गणपूरक संख्या एवं स्थगित बैठक - बैठक की गणपूरक संख्या बार अथवा कुल सदस्यों का 1/5 जो भी कम होगी। गणपूरक संख्या के अभाव में स्थगित बैठक उन्हीं विचारणीय विषयों के विचारार्थ पुनः आहूत करने पर गणपूर्ति आवश्यक नहीं रहेगी।
10. आय का स्रोत : विद्यालय एवं अनुदान।
11. कोष की व्यवस्था / बैंक खाते का संचालन :  
 (क) समिति के नाम से बैंक में खाता खोला जाएगा। जिसके हस्ताक्षरकर्ता प्रदेश मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं कोई एक सदस्य होंगे। राशि की निगरानी कि. बी. को के हस्ताक्षर से होगी।  
 (ख) विद्या विकास समिति की आय को सशुद्ध रूप में सशुद्ध बैंक में जमा होगा।
12. अंकेक्षण :  
 (क) संस्था की लेखा का निरक्षण नियमित रूप से रखा जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से निरक्षण कराया जाएगा।  
 (ख) निबंधन महागिरीक्षक, झारखण्ड, राँची एवं भी चाहे संस्था की लेखा का अंकेक्षण किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट से कराया जा सकता है जिसके शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।
13. सरोधान  
 संस्था के समूचे पत्र एवं नियमावली में कोई भी सरोधान संस्था की आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा तथा संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की समत धारा एवं झारखण्ड संस्था नियमावली के संगत नियम का पूर्णतः पालन किया जाएगा।
14. पंजी का निरीक्षण :  
 संस्था की सभी पंजियों संस्था के निबंधित कार्यालय में संस्था के प्रदेश मंत्री के जिम्मे रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य/सरकारी अधिकारी प्रदेश मंत्री की पूर्व अनुमति से उनका निरीक्षण कर सकते हैं।
15. कानूनी कार्रवाई :  
 संस्था द्वारा या संस्था के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई संस्था के प्रदेश मंत्री के पदनाम से होगी।
16. संस्था के विघटन एवं विघटनोपरांत सम्पत्ति की व्यवस्था :  
 (क) यदि किसी कारणवश संस्था का विघटन करने की आवश्यकता कार्यकारिणी समिति द्वारा समझी जाएगी तक कार्यकारिणी समिति तत्संबंधी प्रस्ताव पारित कर उसे आमसभा की विशेष बैठक में रखेगा। आमसभा के 3/5 बहुमत से स्पष्ट कराने के बाद ही संस्था विघटित होगी।  
 (ख) विघटन के बाद संस्था के सभी दायित्वों के सामंजन के बाद संस्था की जो भी सम्पत्ति शेष रहेगी, वह संस्था के किसी सदस्य या बाह्य व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, बल्कि आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से समाज उद्देश्य वाली झारखण्ड राज्य में निबंधित किसी संस्था या झारखण्ड सरकार को दे दी जाएगी।  
 (ग) संस्था के विघटन के समय संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की धारा- 13 एवं 14 का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

17. आरितयों एवं दायित्व  
यह संस्था अनामजित बिहार राज्य में विद्या विकास समिति, झारखण्ड नाम से संबद्धित संस्था जिसका निबंधन संख्या 1082 वर्ष 1994-95 है, के आरितयों एवं दायित्वों को ग्रहण करती है।
18. असामयिक रिक्ति :  
कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के पद में असामयिक रिक्तियों की पूर्ति कार्यकारिणी समिति के संस्थापक सदस्यों द्वारा अन्य संस्थापक सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यह "विद्या विकास समिति, झारखण्ड" नामक संस्था की नियमावली की सच्ची प्रति है।


*[Signature]*  
कोषाध्यक्ष

*[Signature]*  
20/10/06  
प्रवेश मंत्री

*[Signature]*  
श्याम सुंदर चौधरी  
अध्यक्ष

यह सचो अनामजित झारखण्ड लिपि है

हस्ता, निबंधन महाविद्यालय, झारखण्ड





आकांक्षी व्यक्तियों की सूची एवं विवरण

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पारापोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है। संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अंतर्गत उस संस्था के निबंधन के आकांक्षी हैं।

क्रम	पूरा नाम, पिता का पूरा नाम	पूर्ण पता एवं दूरभाष	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	हस्ताक्षरयुक्त फोटो
1	श्री दिवाकर घोष स्व० धरनीधर घोष	बनामल शिक्षा समिति, शुक्ला कॉलोनी, डि.न. राँची दूरभाष : 9431107735	48	स्नातक	समाज सेवा	संगठन मंत्री	
2	श्री श्याम सुन्दर चौधरी स्व० गुलाब चन्द्र चौधरी	"नीलम हाउस" (एस०एस०एल०एन०टी० महिला कॉलेज के बगल में), लुबी सर्कल, धनबाद दूर०: 0326/2202375, 2204533	69	बी०ए० बी०एल०	आयकर अधिकारी	अध्यक्ष	 221 - जेकेएच
3	श्री शिव कुमार पोद्दार स्व० रामेश्वर लाल पोद्दार	"आयकर ऑफिस", हरदत्त राय लेन, अप बाजार, राँची 834001 दूरभाष : 9431115265	65	बी०एल०	आयकर अधिकारी	उपाध्यक्ष	
4	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह स्व० मदन मोहन सिंह	माकंठ गंग, डि.न. राँची 834002 दूरभाष : 9431105356	53	स्नातकोत्तर (अभियंत्रण)	प्रबंधक (मंकन, राँची)	उपाध्यक्ष	 मनोहर सिंह

*(Handwritten signatures and marks)*

क्रम	पूरा नाम, पिता का पूरा नाम	पूर्ण पता एवं दूरभाष	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	हस्ताक्षरयुक्त फोटो
5	डा० रमाकांत राय स्व० रामावतार राय	विद्या विकास समिति, शुक्ला कॉलोनी, डि०, राँची 834002 दूरभाष : 9431103068	50	एम०ए० पी०एच०डी०	समाज सेवा	मंत्री	
6	डा० सुभांशु कुमार वर्मा श्री शशि भूषण वर्मा	"सिद्धार्थ", 2150 बी 14 परमहंसपुरी साई अस्पताल के पीछे, वरियाप, राँची 834009 दूरभाष : 9431104605	52	एम०ए० पी०एच०डी०	महा विद्यालय निरीक्षक (राँची वि०वि०)	कोषाध्यक्ष	
7	श्री हिमांशु कुमार वर्मा श्री शशि भूषण वर्मा	विद्या भारती, उत्तर (बिहार) क्षेत्र, विन्ध्यवासिनी कल्याणकूर्वा, पटना 800001 दूरभाष : 9431103512	50	स्नातकोत्तर	समाज सेवा	सदस्य	
8	श्रीमती अंजली जैन श्री नेमी चन्द जैन	अंजली जैन एवं एसीशिएट्स, गुरुनानक स्वूल के निकट, पी०पी० कंपार्टमेंट, राँची 834001 दूरभाष : 9431104107		सी०ए०	चाटैड एकाउंटेंट	सदस्य	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति, जिसका फोटो ऊपर विपुक्त है तथा हस्ताक्षर ऊपर अंकित है, ने मेरे समक्ष मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।

वह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

इस्ते, निबंधन महानिरीक्षक

29.06.06  
प्रधानाचार्य  
तरसुली विद्या नंदिर  
(उच्च विद्यालय)  
बुर्गा, राँची

